न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 19/410

1. नन्दलाल आत्मज रामेश्वर ।
2. बृजमोहन आत्मज रामेश्वर जाति धाकड निवासी ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. धापू बाई पत्नी मूलचन्द ।
2. रामसुखी पत्नी धन्ना लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम किशनपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 13.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला

कोटा में खसरा नम्बर 540 की रकबा 3.20 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थियागण के संयुक्त खाते में दर्ज है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है और पक्षकारान मौखिक बंटवारे के अनुसार अपने– अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । खसरा नम्बर 540 की भूमि जो पीछे की साइड की है और खसरा नम्बर 537 से लगी हुई है वह प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे की है जिस पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं । प्रार्थियागण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज हैं और उन्हें उक्त भूमि पर तारबाडा भी कर रखा है और खसरा नम्बर 540 से मुख्य सडक पर आते जाते हैं और उनकी आराजी में कभी कोई रास्ता न तो नक्शा में कायम है और न ही मौके पर कायम है । अप्रार्थीगण ताकतवर व्यक्ति हैं वे ताकत के बल पर अनाधिकृत रूप से जबरदस्ती प्रार्थियागण के खेत में नया रास्ता कायम करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के खाते व हिस्से की आराजी पर अवैध, अनाधिकृत तरीके से ताकत के बल पर न तो कोई नया रास्ता कायम करें और न खेत की मुर्डियों को उखाडकनर खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करे, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई मजाहमत व मदाखल नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2019 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.09.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 540 के पीछे अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 534 स्थित है जो पूर्व में एक ही परिवार के सदस्य होने से खसरा नम्बर 540 की उत्तरी मेर पर स्वयं अपीलान्टगण व अपीलान्ट के पिता अपनी आराजी खसरा नम्बर 534 पर आते–जाते रहे हैं । उक्त रास्ता ही अपीलान्ट की आराजी पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता है जिसको बन्द करने पर प्रार्थीगण के आमादा होने पर अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर महोदय व तहसीलदार साहब लाडपुरा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23.07.2019 को मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की तथा

रेस्पोडेन्ट को रास्ते पर अवरोध पैदा नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया । उक्त सम्पूर्ण तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । खसरा नम्बर 540 के अन्य भी खातेदारान हैं जिनको प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि धारा 212 के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड के सभी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2019 निरस्त फरमाया जावे।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जो त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 540 के पीछे अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 534 स्थित है । आराजी पूर्व में एक ही परिवार के सदस्य होने से खसरा नम्बर 540 की उत्तरी मेर पर स्वयं अपीलान्टगण व अपीलान्टगण के पिता अपनी आराजी खसरा नम्बर 534 पर आते–जाते रहे हैं । उक्त रास्ता ही अपीलान्ट की आराजी आने–जाने का एकमात्र रास्ता है जिसको बन्द करने पर आमादा होने पर अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर महोदय व तहसीलदार लाडपुरा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 23.07.2019 को मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की तथा रेस्पोडेन्ट को रास्ते पर अवरोध पैदा नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया । इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । आराजी खसरा नम्बर 540 के अन्य खातेदारान हैं जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है । यदि अपीलान्ट का रास्ता बन्द कर दिया गया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी । सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में है फिर भी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज है । रेस्पोडेन्टगण महिलाएं हैं इसका फायदा उठाकर अपीलान्ट ताकत के बल पर रेस्पोडेन्ट की आराजी में रास्ता कायम करने पर आमादा हैं । रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है । यदि अपीलान्ट रास्ते के सुखाधिकार की बात करते हैं तो सक्षम न्यायालय में रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । रेस्पोडेन्ट ने अपने खाते की आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से स्वीकार किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2019 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 204, आरआरडी 1998 पेज 36, आरआरडी 2002 (2) पेज 882 उद्धरत की ।

10. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कुछ शपथ पत्र भी फर्द के साथ पेश किये हैं । इस शपथपत्रों में शपथग्रहिताओं ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि धापू बाई एवं रामसुखी की आराजी के रिकॉर्ड एवं नक्शे पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है ।

11. कुछ शपथ पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ अपीलान्ट ने भी पेश किये हैं और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । इन शपथ पत्रों में मुख्य रूप से शपथग्रहिताओं ने यह कथन किया है कि अपीलान्ट के खाते की आराजी का रास्ता खसरा नम्बर 540 की मेड पर है । धापू बाई ने कभी भी खसरा नम्बर 540 पर काश्त नहीं की है ।

12. इस प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक के द्वारा पेश किया और प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की ।

13. हमने उक्त प्रार्धना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किये गये हैं जिनका सत्यापन अपील में नहीं करवाया जा सकता । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 540 की आराजी धापूबाई, रामसुखी एवं अन्य के संयुक्त खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 534 की आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । इसके अलावा एक रिपोर्ट पटवारी हल्का की दिनांक 23.07.2019 भी पत्रावली पर संलग्न है ।

15. खसरा नम्बर 540 रकबा 3.20 हैक्टर प्रार्थीगण के खाते में दर्ज है । प्रार्थीगण का यह कथन है कि प्रतिपक्षीगण उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं । अतः उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अपीलान्टगण का यह कथन है कि उनको प्रार्थीगण की आराजी की मेड पर होकर जाने का सुखाधिकार प्राप्त है क्योंकि यही उनके खाते की आराजी पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता है । यदि अपीलान्ट यह महसूस करते हैं कि उन्हें रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के खाते की आराजी की मेड पर होकर निकलने का सुखाधिकार प्राप्त है तो धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं । जहॉ तक अपीलान्ट की इस आपत्ति का प्रश्न है कि प्रार्थीगण ने समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण उनका दावा एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है, इसका निर्धारण मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त होगा इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और उनके पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2019 बहाल रखा जाता है । अपीलान्टगण पैरा संख्या 15 में किये गये विवेचन के अनुसार रास्ते के सुखाधिकार के लिए धारा 251 के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वत्रंत हैं । धारा 251 के तहत जो कार्यवाही की जावेगी उसमें पारित निर्णय पर इस प्रकरण में पारित निर्णय का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

17. निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13.3.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा